(मूल वाद में डिक्री)( )

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस. मुकदमा नम्बर – 89/2020

सुमन देवी

बनाम

शंकरलाल आदि

दावा बाबत :– घोषणात्मक, खाता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 89/2020

निर्णय दिनांक :– 9-12-21

वादिया की ओर से गुलशन डांगी की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री मुकेश चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 9-12-21 को सुनील कुमार चौहान (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

" अतः वादिया का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि वादे ग्राम आंझा स्थित भूमि खसरा नम्बर 171 रकबा 0.38 है0 में से 0.20 है0 का वादिया को खातेदार घोषित किये जाने आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। रहन पाई कोई हो तो सम्बन्धित को प्राप्त होने वाले रकबे खसरा नं. सिहित के पजा के दर्ज करे "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 9-12-21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 15:42:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
जिला झुंझुनूं राज0